



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102026-276752
CG-DL-E-03102026-276752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5049]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5049]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2026

का.आ. 5256(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 5688 दिनांक 18.12.2025 का.आ. 5884(अ) दिनांक 16.12.2025 भाग (II) खण्ड (3), उपखण्ड (II) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य की तहसील सगड़ी जिला आजमगढ़ की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे "कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियाँ जनता को दिनांक 07.02.2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में श्री अबुल कलाम, सक्षम प्राधिकारी, आई0एच0बी0 लिमिटेड, कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. पाइपलाइन, लखनऊ (यूपी.) ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई0एच0बी0 लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई0एच0बी0 लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा, या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

“अनुसूची”

तहसील – सगड़ी

जिला – आजमगढ़

राज्य – उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
देवारा इस्माइलपुर	95	00	09	81
	100	00	09	60
	101	00	02	99
	104	00	07	17
	106	00	08	41
	107	00	04	30
	108	00	04	69
	109	00	02	00
	122	00	05	67
	161	00	05	16
	162	00	04	58
	165	00	07	78
	166	00	01	56
	167	00	03	86
	176	00	00	50
	177	00	00	50
	178	00	00	25
	181	00	02	20

तहसील – सगड़ी

जिला – आजमगढ़

राज्य – उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर

	182	00	03	84
	375	00	04	27
	376	00	04	83
	380	00	00	80
	478	00	01	35
	479	00	00	45
	480	00	03	65
	481	00	21	44
	482	00	03	68
	721	00	04	56
	723	00	09	07
	801	00	06	04
	815	00	01	90
	816	00	01	90
	817	00	02	10
	821	00	02	00
	824	00	01	71
	825	00	00	45
	854	00	10	08
	871	00	09	55
	884	00	00	57
	887	00	21	13
	892	00	05	88
	893	00	01	94
	1049	00	02	30
	1050	00	01	20
	1052	00	04	23
	1060	00	08	17

तहसील – सगड़ी

जिला – आजमगढ़

राज्य – उत्तरप्रदेश

मौजा / ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर

	1231	00	03	97
	1248	00	10	06
	1249	00	01	62
	1253	00	09	10
	1497	00	01	24
	1498	00	00	05
	1685	00	00	75
	1720	00	03	00
	1721	00	05	52
	1751	00	00	01
	1756	00	01	02

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1-भाग (2)/ई-57270]

हरित कुमार शाक्य, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd September, 2026

S.O. 5256(E).— Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No. 5688 Dated 18.12.2025, S.O. No. 5884(E) Dated 16.12.2025 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under Sub-Section (1) of Section 3 of the Petroleum and minerals pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Sagdi District Azamgarh in Uttar Pradesh State, Specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 07 February 2026.

And whereas Shri Abul Kalam, Competent Authority, IHB Limited, Kandla Gorakhpur LPG Pipeline Project, Lucknow (UP) has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

"Schedule"**Tehsil: - Sagdi****District: - Azamgarh****State: - Uttar Pradesh**

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
DEWARA ISMILEPUR	95	00	09	81
	100	00	09	60
	101	00	02	99
	104	00	07	17
	106	00	08	41
	107	00	04	30
	108	00	04	69
	109	00	02	00
	122	00	05	67
	161	00	05	16
	162	00	04	58
	165	00	07	78
	166	00	01	56
	167	00	03	86
	176	00	00	50
	177	00	00	50
	178	00	00	25
	181	00	02	20
	182	00	03	84
	375	00	04	27
	376	00	04	83
	380	00	00	80
	478	00	01	35
	479	00	00	45
	480	00	03	65
	481	00	21	44
	482	00	03	68
	721	00	04	56
	723	00	09	07
	801	00	06	04
	815	00	01	90
	816	00	01	90
	817	00	02	10
	821	00	02	00
	824	00	01	71
	825	00	00	45
	854	00	10	08
	871	00	09	55
	884	00	00	57
	887	00	21	13
	892	00	05	88

Tehsil: - Sagdi

District: - Azamgarh

State: - Uttar Pradesh

Mouja / Village	Survey/Block No.	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
	893	00	01	94
	1049	00	02	30
	1050	00	01	20
	1052	00	04	23
	1060	00	08	17
	1231	00	03	97
	1248	00	10	06
	1249	00	01	62
	1253	00	09	10
	1497	00	01	24
	1498	00	00	05
	1685	00	00	75
	1720	00	03	00
	1721	00	05	52
	1751	00	00	01
	1756	00	01	02

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part (2)/E-57270]

HARIT KUMAR SHAKYA, Under Secy.